यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (पीडबल्यूडी प्रखण्ड), कीर्तिनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (पीडबल्यूडी प्रखण्ड), कीर्तिनगर** के माह 01/2014 से 05/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री शरत श्रीवास्तव एवं** श्री एस0के0 गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं **श्री** मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 20.06.2018 से 27.06.2018 तक श्री **सुनील कल्ला**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** यह इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है जिसमे 01/2014 से 05/2018 तक के अभिलेखों की जांच की गई।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (सिंचाई प्रखण्ड), कीर्तिनगर के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं अधिक के बसावटों को मोटर मार्ग से संयोजित करना है। इसके अतिरिक्त स्टील एवं आरसीसी सेतु का भी निर्माण किया जाता है। कार्यालय का कार्य क्षेत्र कीर्तिनगर का ग्रामीण क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत **तीन** वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैरस्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	–	63.98	13.85	13.08	1820.71	1629.71	–	0.77	–	255.14
2016–17	–	–	16.40	15.97	1512.96	1313.49	–	0.43	–	199.47
2017–18	–	–	21.55	20.88	1649.36	1139.58	–	0.67	–	509.78

नोटः 1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत मे 31 मार्च को स्थापना मद एवं गैर-स्थापना मद के अवशेष बजट का समर्पण किया गया।

2. स्थापना मद एवं गैर-स्थापना मद मे वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की गई राशि का विवरण निम्नवत है -

मद	2015-16	2016-17	2017-18
प्रोग्राम फंड	223.19	175.30	461.33
एडमिन फंड	4.81	0.01	4.81
इश्टेब्लिशमेंट	0.77	0.43	0.67
स्टेट फंड	26.19	8.43	34.20
अनुरक्षण फंड	0.95	15.73	0.01
कोषागार फंड	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	पीएमजीएसवाई प्रोग्राम फ़ंड एवं एडमिन फंड	-	1787.56	1559.56	–	228.00
2016–17		-	1417.36	1242.05	–	175.31
2017–18		-	1497.59	1031.45	–	466.14

(iii) इकाई को बजट आबंटन प्रोग्राम फंड (पीएमजीएसवाई) मद में केंद्र से प्राप्त होता है एवं अनुरक्षण, प्रशासन, आपदा एवं क्षतिपूर्ति मद मे राज्य सरकार से प्राप्त होता है। गैर-स्थापना एवं स्थापन ब्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "ब" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

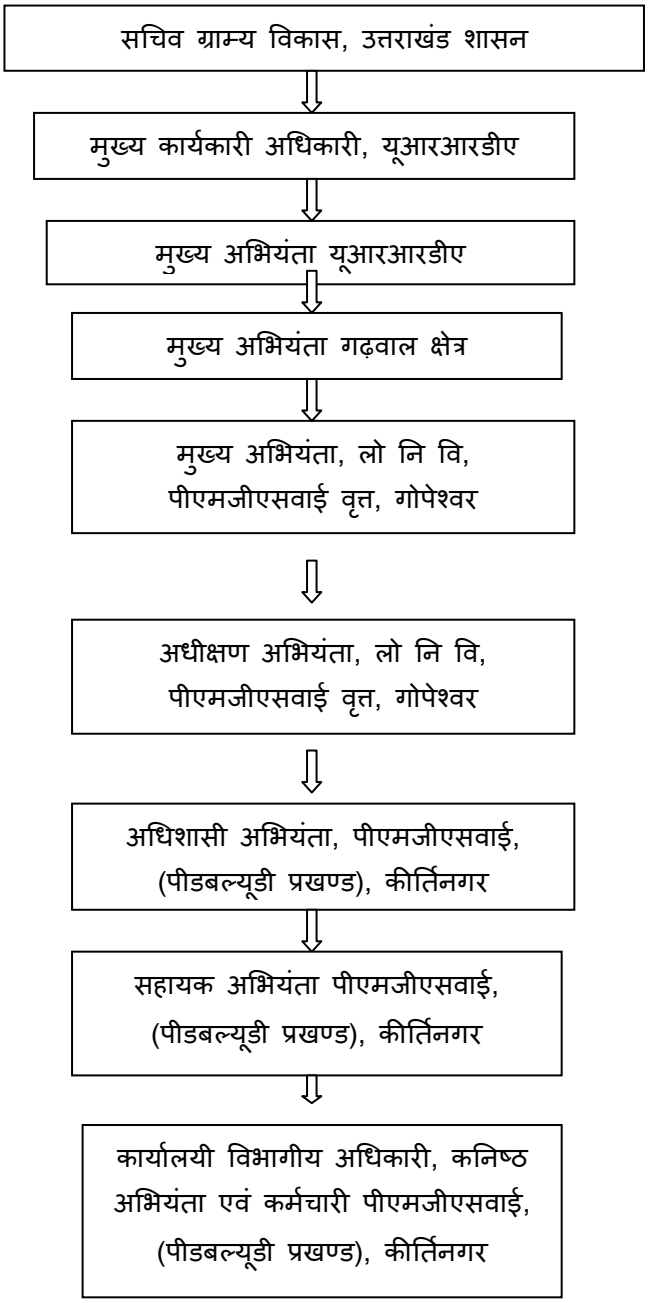

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (पीडबल्यूडी प्रखण्ड), कीर्तिनगर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (पीडबल्यूडी प्रखण्ड), कीर्तिनगर** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2016** एवं **11/2015** को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग दो- "ब"

प्रस्तर:1- एसबीडी के प्रावधानों एवं पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुल 20 आबीमित (non-insured) कार्यों के सापेक्ष ठेकेदारों के देयकों से रु. 37.80 लाख की कटौती नहीं किया जाना।

मानक निविदा अनुबंध (एसबीडी) का अनुच्छेद-13.4 प्रावधानित करता है कि एसबीडी में दी गई शर्तें URRDA/NRRDA की अनुमति के बिना नहीं बदली जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद-13.5 निर्देशित करता है कि बीमा की शर्तें विभाग और ठेकदार दोनों को माननी होंगी। अनुच्छेद-52.2(f) स्पष्ट करता है कि ठेकेदार द्वारा बीमा सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराये जाने को 'Fundamental Breach of Contract' के अंतर्गत माना जाएगा और तत्संबंधित कटौती की प्रभावी दरें अनुच्छेद-13.3 (a) & (b) मे दी गई हैं। इसके अतिरिक्त एसबीडी का अनुच्छेद-13.6 प्रावधानित करता है कि यदि ठेकेदार द्वारा बीमा सुरक्षा के आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो नियोक्ता द्वारा वह बीमा-सुरक्षा ली जाएगी जो ठेकेदार को लेनी थी, और प्रीमियम्स की कटौती ठेकेदार के लंबित बिलों से की जाएगी। यदि ठेकेदार का कोई बिल लंबित नहीं है तो कटौतियाँ उधार देयता (debt due) के रूप में बनी रहेंगी।

Table-1: बीमा कटौती की दर

S. No.	Item	Minimum cover for insurance	Maximum deductible for insurance (Phase XII-XIV)
1.	Works, Plants & Materials	Equal to contract amount	0.50% of contract amount
2.	Loss or damage to Equipment	10% of contract amount	0.25% of contract amount
3.	Other properties	5% of contract amount	0.25% of contract amount

पीएमजीएसवाई के चरण VII से XI तक बीमा कटौती की दरें निम्नवत थीं-

Table-2

S. No.	Item	Minimum cover for insurance	Maximum deductible for insurance (Phase VII – XI)
1.	Works, Plants & Materials	Equal to contract amount	0.4 0% of contract amount
2.	Loss or damage to Equipment	10% of contract amount	0.40% of contract amount
3.	Other properties	5% of contract amount	0.40% of contract amount

इकाई की नमूना लेखा परीक्षा जांच मे पाया गया कि contractor's data एवं Letter of Acceptance मे बीमा संबंधी अनिवार्य प्रावधान एवं तत्समबंधी कटौती का उल्लेख नहीं किया गया है। वर्तमान में पीएमजीएसवाई योजना का 14वां चरण चल रहा है। अब तक इकाई द्वारा पीएमजीएसवाई फेज VII से फेज XIV तक रु. 7355.23 लाख के बॉण्ड के सापेक्ष कुल 20 कार्य प्रारंभ किए गए थे जिसमे 159.35 किमी ग्रामीण सड़क बनाई जानी थी। इन 20 कार्यों मे से 15 कार्य (118.0 किमी0) 05/06/2018 तक पूर्ण हो चुके थे और 05 कार्य (41.35 किमी0) प्रगतिशील अवस्था में हैं।

इन कार्यों से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि किसी भी कार्य का बीमा नहीं कराया गया है। ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों का बीमा नहीं कराये जाने की स्थिति मे नियमानुसार ठेकेदारों के देयकों से कटौती कर इकाई को निर्माण कार्यों का बीमा कराना चाहिए था।

इन 20 कार्य अनुबंधों पर किए जाने वाले अनिवार्य बीमा कटौतीयों की गणना निम्नवत है-

Table-3

Calculation of Insurance deduction from phase VII to XIV of E.E., PMGSY(PWD), Kirtinagar

Name of Work/Phase	original Bond Cost without maintenance cost	deduction rate as per 13(a)(b)(1)	deduction amount as per 13(a)(b)(1)	deduction rate as per 13(a)(b)(2)	deduction amount as per 13(a)(b)(2)	deduction rate as per 13(a)(b)(3)	deduction amount as per 13(a)(b)(3)	total amount of deductions
PhaseVII (02)	485.44	0.40% of contract amount	1.94176	0.40% of 10% of contrat amount	0.194176	0.40% of 5% of contract amount	0.097088	2.233024
Phase VIII (01)	188.57	0.40% of contract amount	0.75428	0.40% of 10% of contrat amount	0.075428	0.40% of 5% of contract amount	0.037714	0.867422
Phase X-(05)	1568.32	0.40% of contract amount	6.27328	0.40% of 10% of contrat amount	0.627328	0.40% of 5% of contract amount	0.313664	7.214272
Phase XII-(6)	2384.05	0.50% of contract amount	11.92025	0.25% of 10% of contrat amount	0.5960125	0.25% of 5% of contract amount	0.2980063	12.814269
Phase XIII-(5)	2043.66	0.50% of contract amount	10.2183	0.25% of 10% of contrat amount	0.510915	0.25% of 5% of contract amount	0.2554575	10.984673
Phase XIV(01)	685.19	0.50% of contract amount	3.42595	0.25% of 10% of contrat amount	0.1712975	0.25% of 5% of contract amount	0.0856488	3.6828963
Grand Total (20)	**7355.23**		**34.5388**		**2.1752**		**1.0876**	**37.8**

Note: Rates of deduction (under Cl.13) from contractor was changed from phase-XII and onwards. Hence, the caluclations also has been changed accordingly.

इस प्रकार एसबीडी के प्रावधानों एवं पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार इकाई को कुल 20 कार्यों के सापेक्ष ठेकेदारों के देयकों से रु. 37.80 लाख की कटौती करनी थी, जिसे इकाई द्वारा नहीं किया गया तदनुसार 20 निर्माण कार्यों हेतु बीमा-अछादन भी इकाई द्वारा प्राप्त नहीं किया गया जिससे सरकारी हितों को जोखिम (risk) हुआ है।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में कहा कि पूर्व मे खंड मे किसी लेखाधिकारी के कार्यरत नहीं होने के कारण त्रुटिवश यह कटौती नहीं हो पाई। यदि कोई ठेकेदार एक माह के अंदर अपने कार्य का इन्शुरेंस कराकर उपलब्ध नहीं कराता है तो नियमानुसार बीमा की समस्त वसूली ठेकेदार के आगामी देयकों से की जाएगी अन्यथा Clause-52 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान मे ठेकेदारों को बीमा हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

अतः एसबीडी के प्रावधानों एवं पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार इकाई द्वारा कुल 20 कार्यों के सापेक्ष ठेकेदारों के देयकों से रु. 37.80 लाख की कटौती नहीं किए जाने का प्रकरण शासन/उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:2- प्राविधिक स्वीकृति मे दी गयी मात्राओ के अनुसार अनुबंध न होने के कारण तीन मोटर मार्ग मे रु 5.58 लाख का आधिक्य भुगतान एवं मूल्यागांव-पलेठी मोटर मार्ग के स्टेज-II के सुरक्षात्मक कार्य मे रु 52.16 लाख के अधोमानक कार्य।

(1.) पीएमजीएसवाई के भुगतान संबंधी दिशानिर्देश के अनुसार यदि ठेकेदार अनुबंध मे दी गयी मात्राओ के अतिरिक्त 25 प्रतिशत से अधिक कार्य करता है तो 25 प्रतिशत से अतिरिक्त कार्य का भुगतान वर्तमान बाजार मूल्य से किया जायेगा ।

तीनमोटर मार्ग से संबन्धित कार्यो के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा प्राविधिक स्वीकृति मे स्वीकृति मात्राओ के अनुसार निविदा नहीं किया गया और कम मात्राओं पर अनुबंध करके ज्यादा कार्य कराया गया। परिणामतः अनुबंध से 25 प्रतिशत से अधिक के कार्य पर वर्तमान बाजार मूल्य पर भुगतान किया गया। जबकि अनुबंध मे मात्रा प्राविधिक स्वीकृति के अनुसार रखी जानी चाहिये थी। यदि इकाई द्वारा निविदा करते समय प्राविधिक स्वीकृति मे दी गयी मात्राओ का ध्यान रखा जाता तो अधिक दर पर भुगतान न पड़ता । कार्यवार विवरण निम्नानुसार था:-

(रु लाख मे)

कार्य का नाम एवं अनुबंध सं0	मद का नाम	प्राविधिक स्वीकृति मे दी गयी मात्रा	अनुबंध मे दी गयी मात्राएवं दर	किये गये कार्य कि मात्रा एवं दर	बिल के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक कार्य	बिल के अनुसार अधिक किया गया भुगतान
Khola dhan dharkot dhanpaanyakoti m/r अनु0 सं0 11/se /pmgsy/ 2013-14	R.R. Stone masonary 1:5	2453.76 cum	1226.88 @2000	1533.60 @2000/- +109.36@ 2978.80	109.36X 978.80 (2978.80 - 2000.00)	1.07
Khatwar Band to Ringoli malli m/r phase ii अनु0 सं0 10/se /pmgsy/ 2013-14	Providing& laying boulder appron	1091.25 cum	545.63@ 1553.70	682.03@15 40.00+11.26 @ 1704.20	11.26X 164.20 (1704.20 - 1540.00)	0.02
Hindolakhal-Unana (stage-II) M/R	R.R Stone Masonry	75.20 cum	37.60@1 573.00	47@1573.0 0+233.56@ 2400.80	233.56X 827.80 (2400.80 - 1573,00)	1.93
	Exavation for Structure	844.38 cum	422.19 cum @ 117.00	527.74@11 7.00+559.55 @189.00	559.55X 72 (189.00- 117.00)	0.40
	R.R.stone masonry for structure laid	1339.82 cum	669.91@ 650.00	837.39@65 0.00+552.17 @ 943.30	552.17X 293.30 (943.30-	1.62

	dry				650.00)	
	Providing & laying filter media as hand packed stone	774.61 cum	387.31@ 250.00	484.14@25 0.00+203.72 @514.70	203.72X 264.70 (514.70-250.00)	0.54
				कुल आधिक्य रु		5.58 लाख

(2.) वित्तीय हस्तपुस्तिका नियम 318 मे यह स्पष्ट किया गया है कि विस्तृत आंगणन तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को स्वीकृति के लिये प्रेषित किया जाना चाहिये । यह स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति के रूप मे होगी । इसकी गणना पूर्णतया वास्तविक और सही आकड़ों पर आधारित होगी।

मूल्यागांव-पलेठी मोटर मार्ग की स्वीकृति भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्रांक 17029/2/2012-आरसी दिनांक 08.02.2013 द्वारा क्रमांक 87 पर 7.78 किमी लंबाई के लिये रु 300.83 लाख की प्रदान की गयी थी। तथा उत्तराखंड शासन के पत्रांक 2306/पी-3-14/यूआरआरडीए/13 दिनांक 13.03.2013 द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

प्राविधिक स्वीकृति और किये गये अनुबंध के निरीक्षण मे प्रकाश मे आया कि 7.78 किमी लंबाई के मोटर मार्ग हेतु प्राविधिक स्वीकृति मे अनुमोदित मात्रा के अनुसार निविदा/अनुबंध नहीं किया गया । और मुख्यतः सुरक्षात्मक कार्यो की परिवर्तित मात्राओ को अनुबंध मे शामिल किया गया। जो अधिकांशतः प्राविधिक स्वीकृति मे दर्शाई गयी मात्रा से आधी है। **(विवरण संलग्न)** जो यह प्रदर्शित करता है किमुख्यतः सुरक्षात्मक कार्य प्राविधिक स्वीकृति मे दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार न करके अधोमानक रूप से करवाया गया। साथ ही स्कपर के नीचे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के निर्माणका प्रावधान भी प्राविधिक स्वीकृति मे प्रस्तावित था। जिसको अनुबंध करते समय शामिल नहीं किया गया।

बिन्दु 1 के संबंध मे इकाई से पूछने पर बताया गया कि कार्य को शीघ्र प्रारम्भ किया जाना था इसलिए तकनीकी स्वीकृति से पूर्व ही निविदा करके अनुबंध कर लिया गया। तथा समस्त कार्य विशिष्टियों के अनुसार कार्यस्थल कि वास्तविक आवश्यकतानुसार ही कराये गये थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के संबंध मे बताया गया कि उच्चाधिकारियों के मौखिक निर्देशानुसार कार्यस्थल कि वास्तविक स्थिति को ध्यान मे रखकर निर्माण नहीं कराया गया।

इकाई के उत्तर से स्वतः इस तथ्य कि पुष्टि होती है कि प्राविधिक स्वीकृति मे स्वीकृति मात्राओ को इकाई द्वारा ध्यान न देकर Su-Motto पद्यति से निविदा और अनुबंध आधी मात्रा का करके अधोमानक कार्य करवाया गया । जबकि प्राविधिक स्वीकृति मे मात्राओ की गणना सही और वास्तविक तथ्यो पर आधारित होती है।

इकाई से इस संबंध मे पूछने पर बताया गया कि कार्य को शीघ्र आरंभ किये जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए इन कार्यो कि निविदाओ मे मात्राए अनुमानित ली गयी। तथा अनुबंध की मात्रा से 25 प्रतिशत अधिक का भुगतान एसबीडी के क्लाज 34.3 से 36.3 के अनुसार देय है।

इकाई का उत्तर पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है। क्योकि,निविदाओ मे मात्राये अनुमानित नहीं बल्कि प्राविधिक स्वीकृति मे स्वीकृत मात्राओ के अनुसार ली जाती है। यदि प्राविधिक स्वीकृति मे स्वीकृति मात्राओ

के अनुसार अनुबंध किया जाता तो इकाई को आरयू 5.58 लाख का अधिक का भुगतान न करना पड़ता।

अतः सुरक्षात्मक कार्य मे रु 52.16 लाख के अधोमानक कार्य का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है एवं प्राविधिक स्वीकृति मे दी गयी मात्राओ के अनुसार अनुबंध न होने के कारण तीन मोटर मार्ग मे रु 5.58 लाख का आधिक्य भुगतान का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

संलग्नक - अ

कार्य की मद का नाम	तकनीकी स्वीकृति मे अंकित मद	अनुबंध मे अंकित मद	भिन्नता	दर	कम किये जाने वाले कार्य की राशि
Earthwork in filling with local soil	21006.00	10503.00	10503.0	64.70	679544.10
Coolie walling for edge/filling protection	4201.20	2100.60	2100.60	324.19	680993.51
Excavation for structure	4295.06	2147.53	2147.53	125.50	269515.01
R.R. masonry 1:5	1632.62	816.31	816.31	1773.20	1447480.89
R.R. dry	1157.29	578.64	578.64	710.40	410895.36
Providing and laying filter media	459.49	229.74	229.74	253.30	58193.14
Providing edge stone on valley side	3890.00	1945.00	1945.00	41.09	79920.05
Construction of Parapet in R R 1:5 (without base concrete	389.00	194.00	195.00	868.36	169330.20
Construction of Parapet in R R 1:5 (with base concrete)	389.00	194.00	195.00	1082.88	211161.60
Providing and laying of boulder apron	866.25	433.12	433.12	1416.90	613687.72
Construction of hill side pucca KC drain	2800.00	1400.00	1400.00	425.70	595980.00
	Total Value of sub standard work Rs.				**52,16,701.58**

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- रु 43.70 लाख का टैक्स इन्वाइस जमा किये बिना ठेकेदारो को रु 364.17 लाख का भुगतान किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 2137/111(2)/17–27(सामान्य)/2007 दिनांक 05 सितम्बर 2017 में दिनांक 1.7.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश मे case-1 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.6.2017 तक दाखिल एम0बी0 के सम्बन्ध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम0बी0 के सम्बन्ध में कर के दायित्व का निर्धारण जी0एस0टी0 के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन्वाईस प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना(पी0डब्लू0डी0) कीर्तिनगर टिहरी द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी जी0एस0टी0 भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख/ सूचना में पाया गया कि 13 ठेकेदार को विभाग के द्वारा माह 3/2018 तक कुल रु 364.17 लाख के बिना टैक्स इनवाइस प्राप्त किये ही भुगतान किया गया जिस पर 12% जी0एस0टी0 रु.43.70 लाख कर की धनराशि देय थी। जिसका विवरण निमन्वत है:-

Sr.No	Name of Farm/contractor	Gross Amount Paid (1.7.17 to31.3.18	GST to be deposited @12%	Net Amount
1	Shri Vijay Builders Rudpriyag	5611244.	673349.	4937894.
2	Shri Vijay Builders Rishikesh	216781.	26014	190767.
3	M/S puran chand Ramola and brother	422528.	50703.	371824.
4	M/s D.S consction	3918757	470250.	3448507..
5	Shri Vijaypal singh Gusai	547841.	65740.	482100.
6	Shari Rakesh singh brathwal	307959.	36955.	271003.
7	M/S Gurga Consction Tehari	10388181.	1246581.	9141600.
8	Shri Rajue kandari Deharadun	7417849.	890141.	6527708.
9	Shri. Sompal Singh Muzaffarnagar (UP)	420478.	50457.	370021.
10	M/S Rajendar Singh Kuldip Singh Deharadun	5275500.	633060.	4642440.
11	Shri Dhanpal singh Ramola Reshikesh	1595103.	191412.	1403691.
12	Shri krishnamurti srinagar	146899.	17628.	129271.
13	Shri Raghuveer Singh sajwar Tehari	147976.	17757.	130219.
	Grand Total=	36417096.	4370047.	32047045.

जी0एस0टी0 विभाग द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना(पी0डब्लू0डी0) कीर्तिनगर टिहरी **को यह सूचित किया गया था की ठेकेदार द्वारा माह 3/2018 के अंत मे** जी0एस0टी0 **लेखा नहीं जमा किया गया है,** जबकि संविदी विभाग के द्वारा संविदाकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना चाहिऐ था, जैसा कि शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 5 सितम्बर 2017 एवं जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रावद्यानों में उल्लिखित था, अर्थात बिना टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये संविदा कार्य की देय संविदा धनराशि और` 12 प्रतिशत कर की धनराशि का भुगतान संविदाकार को प्रावद्यानों के विरूद्व किया गया था ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि संविदाकारों को भुगतान इ-पेमेंट के माध्यम से किया जाता है। उच्चअधिकारियों द्वारा इस संबंध मे कोई स्पष्ट निर्देश निर्गत नहीं किये गये है। इकाई ने यह भी स्पष्ट किया है कि संविदाकार **द्वारा वर्तनाम तक** टैक्स इन्वाइस **नहीं भेजा गया है।**

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, क्योकि जीएसटी संबंधी उक्त दिशानिर्देशों के तहत संविदाकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना चाहिए **था। जिसका पालन इकाई द्वारा नहीं किया गया।**

अतः रु 43.70 लाख का टैक्स इन्वाइस जमा किये बिना ठेकेदारो को रु 364.17 लाख का भुगतान किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-4- त्रुटिपूर्ण **वेतन निर्धारण के कारण रु 3.37 लाख का अधिक भुगतान।**

संख्या 41/xxvii/7 सी-भर्ती दिनांक 13.02.2009 के अनुसार यदि किसी कार्मिक की भर्ती दिनांक 01.01.2006 अथवा इसके पश्चात सीधी भर्ती से हुयी हो तो उनके वेतन बैण्डों एवं ग्रेड वेतन पर न्यूनतम प्रविष्टि वेतन पर वेतन निर्धारित किया जाएगा।

कीर्तिनगर इकाई मे कार्यरत संजू कुमार सहायक अभियंताओ की सेवा पुस्तिका एवं अभिलेखो की नमूना जांच करने पर यह देखा गया कि श्री संजू कुमार.(स.अभि) की पदोन्नति दिनाक 1.1.2011 को एक वेतन वृद्धि देते हुये वेतन (11330+4600=15930) से पदोन्नति कर वेतन (11330+4600=15930) मे वेतन निर्धारण ना कर के GP-4600 के न्यूनतम (12540+4600=20140) वेतन मे निर्धारण किया गया जो की त्रुटिपूर्ण है जिसके कारण दिनांक 1.1.2011 से 30.5.2018 तक वेतन एवं भत्तो पर रु 3.73 लाख अधिक वेतन दिया गया। विवरण सलंगन है।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि अधिक वेतन के भुगतान की पुष्टि की जाती है पुन; जाँच कर उचित कार्यवही की जायेगी।

उत्तर मान्य नहीं है। उपरोक्त शासानादेश के दिशानिर्देशो के विपरीत जा कर त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु 3.37 लाख का अधिक भुगतान का प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- संरेखण मे आने वाली वाली नापभूमि एवं निर्माण के दौरान हुएक्षतिग्रस्त परिसंपतियोंके प्रतिकर की धनराशि रु 14.98 लाख का भुगतान न किया जाना तथा इनकी रजिस्ट्री न किया जाना।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मोटर मार्ग निर्माण हेतु संरेखण मे आने वाली वाली नापभूमि का बहिनामा रजिस्टरी कर काश्तकारों को प्रतिकर का भुगतान किया जाता है। प्रतिकर की दर उत्तरप्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (उत्तराखंड मे लागू) मे निहित प्रावधानों के अनुसार सर्कल रेट की दर से होगी । इसी प्रकार मोटर मार्ग के निर्माण के लिए पहाड़ कटान के मलबे से क्षतिग्रस्त परिसंपतियों (फसल, पेड़ एवं दबान) के प्रतिकर का भुगतान भी किया जाता है।

अधिशासी अभियन्तापीo एमo जीo एसo वाईoपीडबल्यूडी,कीर्तिनगर के चार स्वीकृत मार्गो के प्रतिकर से संबन्धित अभिलेखो / प्रस्तावो की नमूना जांच मे पाया गया कि इन मार्गो के स्टेज 1 के कार्य पूर्ण हो चुके थे परंतु इन मार्गो मे आने वाली नाप भूमि का न तो बहिनामा रजिस्टरी की गयी थी और न ही निर्माण हेतु संरेखण मे आने वाली57 लाभार्थियो (काश्तकारों) की नाप भूमि को देय प्रतिकररु 13.80 लाख का वितरण लेखापरीक्षा तिथि (06/2018) तक किया गया था। आगे जांच मे यह भी पाया गया कि एक मार्ग (हिंडोलाखाल से उनाना) के निर्माण करते समय 23 लाभार्थियो जिनकी परिसंपतिया पहाड़ कटान के दौरान क्षतिग्रस्त हुई, मे से 13 लाभार्थियो को ही प्रतिकर दिया गया। इसी प्रकार नेनीसेन से पठ्वाड़ा मोटर मार्ग पर निर्माण के दौरान हुए 05 क्षतिग्रस्त परिसंपतियों के प्रतिकर का भुगतान भी लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं किया गया था। इस प्रकार 15 संपातियों के प्रतिकर की कुल धनराशि रु 1.18 लाख भी लेखापरीक्षा तिथि तक वितरित नहीं की गयी थी।(विवरण सलग्न)प्रतिकर का भुगतान 2 से 3 वर्ष से लंबित था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि समय पर बहिनामा रजिस्टरी न करने के कारण रजिस्टरी शुलक मे अतिरिक्त धनराशि का व्यय होगा।

इकाई से पूछने पर यह बताया कि काश्तकारों के बाहर रहने व विवाद के कारण तथा नोटबंदी मे चेक निरस्त होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, क्योकि इकाई द्वारा प्रतिकर के भुगतान के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए तथा नोटेबन्दी मे चेक निरस्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

अतः इकाई द्वारा सार्थक प्रयास न किए जाने के कारण प्रतिकर की धनराशि रु 14.98 लाख का भुगतान न किया जाना तथा इनकी रजिस्ट्री न किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	**स्टैन, यदि हो**	**अनिस्तारित प्रस्तरों का अनुपालन**
	इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है			

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

— शून्य —

भाग–V

1. कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (पीडबल्यूडी प्रखण्ड), कीर्तिनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

(i) } –– शून्य ––
(ii) }

2. सतत् अनियमितताऐंः

(i) } –– शून्य ––
(ii) }

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	ई0 सुनील कुमार	अधिशासी अभियंता	30.12.2013 से 22.01.2014 तक
2.	ई0 जयकृत सिंह कंडारी	अधिशासी अभियंता	23.01.2014 से 30.06.2016 तक
3	ई0 धनेन्द्र प्रसाद जोशी	अधिशासी अभियंता	01.07.2016 से 03.07.2016 तक
4	ई0 मनोज कुमार सिंह	अधिशासी अभियंता	04.07.2016 से 20.07.2016 तक
5	ई0 जीत सिंह रावत	अधिशासी अभियंता	21.07.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (पीडबल्यूडी प्रखण्ड), कीर्तिनगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ, **248195** देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ सामाजिक क्षेत्र